नैक द्वारा प्रत्यायित श्रेणी ''बी''

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय

जंगल धूसड़- गोरखपुर

फोन नं0 : 0551–6827552, 2105416
मो. : 9794299451
Website: www.mpm.edu.in
E-mail : mpmpg5@gmail.com

स्थापित २००५ ई.

पत्रांक : ....   दिनांक : 26.08.2017

सूचना

चुनाव प्रक्रिया– छात्र–संघ के निदेशक चुनाव अधिकारी होगें। चुनाव के सात दिन पूर्व महाविद्यालय में चुनाव के तिथि की सूचना दी जायेगी एवं सूचना पट्ट पर उक्त सूचना चस्पा कर दिया जायेगा। चुनाव प्रक्रिया तीन दिनों में पूर्ण होगी।

1. 28.08.2017 सभी कक्षा प्रतिनिधि छात्र–संघ संविधान के अनुसार चुने जायेंगे। उसी दिन सायं 3 बजे से 5 बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री हेतु महाविद्यालय के छात्र/छात्रा में से एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक द्वारा प्रत्याशिता निर्धारित प्रारूप पर किया जा सकेगा। प्रत्याशिता प्रारूप पर प्रत्याशी की सहमति भी अनिवार्य होगी।

2. 29.08.2017 प्रातः 9:00 बजे से 10:00 बजे तक प्रत्याशी द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस ली जा सकेगी। तत्पश्चात 10:30 से 11:00 बजे तक प्रत्याशियों के आवेदन/पर्चे की जांच होगी। वैध प्रत्याशियों की सूची घोषित होते ही 1:30 बजे से योग्यता भाषण प्रारम्भ होगा। जिसमें प्रत्याशी साधारण सभा के समक्ष अपनी बात 10 मिनट में रख सकता है।

3. तीसरे दिन प्रातः 8:30 से अपराह्न 1:30 बजे तक मतदान होगा। अपराह्न 2:30 बजे से परिणाम आने तक मतगणना चलती रहेगी । मतगणना के पश्चात चुनाव अधिकारी उसी दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री को प्रमाण–पत्र दे देंगे।

चुनाव आचार संहिता– छात्र–संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी का प्रत्याशिता स्वतः समाप्त हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता में निम्नलिखित आचरण, व्यवहार अपेक्षित होंगे–

(क) चुनाव प्रचार हेतु कोई भी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर, पर्चा, दिवाल लेखन आदि किसी भी प्रकार का व्यय साध्य तरीका नहीं अपनायेगा।

(ख) कक्षओं में उद्बोधन, परिसर में एकाधिक के साथ समूह बनाकर चलना, किसी बाहरी को परिसर में बुलाना आदि प्रतिबन्धित रहेगा।

(ग) महाविद्यालय परिक्षेत्र में किया गया कोई भी अमर्यादित आचरण, व्यवहार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

(घ) योग्यता भाषण का आयोजन ही प्रचार का एकमात्र माध्यम होगा।

(ङ) चुनाव अधिकारी के निर्णय पर प्राचार्य के पास अपील की जा सकेगी। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा । प्राचार्य के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।